स्रोत विज्ञान एवं टेक्नॉलॉजी फीचर्स
RNI REG. NO: MPHIN/2007/20200

शारापोवा और खेलकूद में प्रतिबंधित दवाइयां

टेनिस स्टार मारिया शारापोवा को एक प्रतिबंधित दवा के सेवन के आरोप में दंडित किया गया है। आरोप है कि उन्होंने मिल्डोनियम नामक औषधि का सेवन किया था जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी (वाडा) की प्रतिबंधित सूची में शामिल है।

शारापोवा ने स्वीकार किया है कि वे यह दवाई अपने पारिवारिक डॉक्टर की सलाह पर पिछले 10 वर्षों से लेती आ रही हैं। उनके डॉक्टर ने यह दवाई हृदय सम्बंधी समस्याओं तथा शारापोवा परिवार में मधुमेह के इतिहास को देखते हुए दी थी।

वाडा नियमित रूप से इस बात का विश्लेषण करता है कि खिलाड़ी अपना प्रदर्शन बेहतर करने के लिए किस तरह के रसायनों का सेवन करते हैं। आजकल इस निगरानी के लिए विश्व के बेहतर एथलीट्स को नियमित रूप से अपनी पेशाब जांच के लिए प्रस्तुत करनी होती है ताकि उनकी शरीर क्रियाओं का एक सामान्य प्रोफाइल रिकॉर्ड में रहे।

मिल्डोनियम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला 2015 सितंबर में ले लिया गया था और इसकी सूचना सार्वजनिक रूप से दी गई थी। शारापोवा का कहना है कि उन्हें यह समझ में ही नहीं आया था कि जो दवा (मिलड्रोनेट) वे ले रही हैं, उसका एक और नाम मिल्डोनियम है जिस पर प्रतिबंध लगाया जाने वाला है।

शारापोवा रूसी खिलाड़ी हैं और रूस के प्रशासन ने भी सारे एथलीट्स को प्रस्तावित प्रतिबंध की सूचना दी थी। इस दवा की खोज लाटविया के कार्बनिक संश्लेषण संस्थान में की गई थी। इस दवा को अमेरिका के खाद्य व औषधि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है मगर रूस व अन्य कुछ देशों में उपलब्ध है।

इस दवा का आविष्कार इश्चेमिया के इलाज के लिए हुआ है। इश्चेमिया की स्थिति में शरीर के ऊतकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती और उनके कामकाज में दिक्कत होती है। ज़ाहिर है यदि कोई सामान्य व्यक्ति मिल्डोनियम लेगा तो उसके ऊतकों तक ऑक्सीजन की सप्लाई पहले से बेहतर हो जाएगी और उसकी मांसपेशियां बेहतर काम कर पाएंगी।

जंतुओं पर किए गए प्रयोगों में भी पता चला था कि मिल्डोनियम के सेवन से गतिशीलता बढ़ती है, थकान देर से आती है (जिसके चलते आप ज़्यादा देर तक शारीरिक काम करते रह सकते हैं) और यह आपको कुछ किस्म के तनावों से बचाती है। ऐसा लगता है कि इन्हीं सब कारणों से वाडा ने इस पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया था क्योंकि प्रमाण मिले थे कि एथलीट्स अपना प्रदर्शन सुधारने के लिए इसका सेवन करते हैं। शारापोवा पर इस मामले में चार साल तक का प्रतिबंध लग सकता है।

प्रकाशक, मुद्रक अरविन्द सरदाना की ओर से निदेशक एकलव्य फाउण्डेशन द्वारा एकलव्य, ई-10 शंकर नगर, बी.डी.ए. कॉलोनी, शिवाजी नगर, भोपाल - 462016 (म.प्र.) से प्रकाशित तथा आदर्श प्राइवेट लिमिटेड, इंदिरा प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, ज़ोन-1 भोपाल (म.प्र.) 462011 से मुद्रित। सम्पादक: डॉ. सुशील जोशी